न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 56/2008

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बोदाराम पुत्र दौलाराम		1. चन्द्राराम पुत्र पूनाराम
2. मांगीलाल पुत्र दौलाराम		2. हड़मानराम दत्तक पुत्र भंवरूराम
3. सुखाराम पुत्र भीकाराम		जातियान–जाट, निवासी–घोड़ावड़,
4. मोरकी पत्नि भीकाराम		तहसील–जैतारण, जिला–पाली
नोट सुखाराम नाबालिग जरिये		3. तहसीलदार, जैतारण
कुदरती वलिया माता मोरकी		तहसील–जैतारण, जिला–पाली
पत्नि भीकाराम		
जातियान–जाट, निवासी–घोड़ावड़,		
तहसील–जैतारण, जिला–पाली		

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.28/02/2008**

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 11/02/2017**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–घोड़ावड़, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवमं कब्जे काश्त की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि पहले प्रतिवादीगण के पूर्वज पूनाराम व भंवरूराम के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। जिन्होंने उक्त आराजी जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख के दिनांक 08/07/1968 को वादीगण के पिता व पूर्वज दौलाराम को बेचान कर दी थी। बेचाननामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 44 भरा गया था। जिसे ग्राम पंचायत में स्वीकृत किया जाकर राज्य सरकार के राजस्व रेकर्ड में प्रतिविष्टि की गई थी। म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की हैं। विवादित आराजी खसरा नम्बर 473/2 रकबा 62–03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 477 रकबा 17–00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 478 रकबा 4–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 482 रकबा 00–09 किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 483 रकबा 71–14 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 484 रकबा 0–14 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 493 रकबा 10–00 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 493/1 रकबा 0–10 किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 494 रकबा 01–07 किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 495 रकबा 1–15 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 496 रकबा 0–16 बीघा किस्म गै0मु0, कुल खसरा नम्बर 11 कुल रकबा 170–14 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की आराजी में से वादीगण का 1/2 हिस्सा हैं। इसी माफिक प्रतिवादीगण का भी 1/2 हिस्सा हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण इसी माफिक अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं एवं इस आराजी को आगे वाद–पत्र

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

में विवादित आराजी के नाम से जाना जायेगा। नकल चालू जमाबन्दी वाद-पत्र के साथ पेश की हैं। वादीगण की 1/2 हिस्से की आराजी मौके पर खरीद के समय ही अलग-अलग बंटी हुई हैं एवं मांठे अलग-अलग कायम की हुई हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड में सम्पूर्ण भूमि शामलाती दर्ज हैं। वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर आधुनिक तरीके से काली मिट्टी, खाद वगैरा डालकर के सुधार करके उस पर काश्त करना चाहते हैं तथा वादीगण को अपने हिस्से की भूमि सुधारने के लिये ऋण की भी आवश्यकता हैं। जिसे वे बैंक से प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भूमि शामलाती दर्ज होने की वजह से वादीगण उक्त समस्त कार्य करने में असमर्थ हो रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कराने का कहा। लेकिन प्रतिवादीगण ऐसा बंटवाड़ा कराना नहीं चाहते हैं तथा हर वर्ष बरसात होने पर भूमि के नापचौंप के लेके विवाद होता रहता हैं। इसलिये भी वादीगण के हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक होने से यह वाद-पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण के विवादित आराजी मौके पर खरीद के समय से ही अलग-अलग बंटी हुई हैं। लेकिन इस विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 473/2 रकबा 62-03 बीघा आबादी ग्राम-घोड़ावड़ के बिल्कुल पास में ही आई हुई हैं। आबादी के पास होने से वर्तमान में इस भूमि की कीमते ज्यादा बढ़ जाने की वजह से प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गई हैं। वह इस खसरा न म्बर 473/2 की भूमि से वादीगण को बेदखल करना चाहते हैं। पिछले नवम्बर दिसम्बर माह से 2007 से प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण को इस आराजी से बेदखल करने की नियत से माठे तोड़ देते हैं। जिस पर वादीगण ने तहसीलदार, जैतारण के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर खसरा नम्बर 473/2 की पेमाईश करने का निवेदन किया। जिस पर दिनांक 14/01/2008 को सम्बन्धित हल्का पटवारी ने इस भूमि का नापचौंप कर सीमाज्ञान भी करवाया। लेकिन प्रतिवादीगण सहमत नहीं हुये एवं उल्टा उन्होंने वादीगण को एलानिया की दी कि अब सम्पूर्ण आराजी को अपने कब्जे में ले लेगें एवं वादीगण को इस आराजी पर काश्त नहीं करने देगें। प्रतिवादीगण ने मौके पर इस विवादित आराजी में से खड़ी खेजड़िया भी काटने की कोशिश की व जान माल से नुक्शान पहुँचाने की एलानिया धमकी दी। जिस पर वादीगण ने दिनांक 20/02/2008 को धारा 107, 116(3) सीआरपीसी की कार्यवाही पेश की हैं। प्रतिवादीगण नहीं मान रहे हैं। यदि प्रतिवादीगण जबरदस्ती लाठी के बल पर इस पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, तो वादीगण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हैं। तब वादीगण प्रतिवादीगण को ऐसा हरगिज नहीं करने देगें एवं विविध प्रकार की मुकदमें बाजी होगी व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादी संख्या 3 सुखाराम नाबालिग हैं। जिसकी ओर से कुदरती वलिया माता की ओर से यह वाद पेश किया जा रहा हैं। जिसकी अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार, जैतारण जो कि इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि व भूमिधारी राजस्थान सरकार हैं। जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना हैं। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद पेश किया जा रहा हैं। जिसकी अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

14/01/2008 को सम्बन्धित हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान करवाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा नहीं मानने एवं इस विवादित आराजी से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम–घोड़ावड़, तहसील–जैतारण में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जबाबदावा पेश करने हेतु समय चाहा गया। जबाबदावा पेश करने हेतु अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश नहीं करने से जबाबदावा बन्द किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा–घोड़ावड़, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवमं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 473/2 रकबा 62–03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 477 रकबा 17–00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 478 रकबा 4–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 482 रकबा 00–09 किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 483 रकबा 71–14 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 484 रकबा 0–14 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 493 रकबा 10–00 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 493/1 रकबा 0–10 किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 494 रकबा 01–07 किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 495 रकबा 1–15 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 496 रकबा 0–16 बीघा किस्म गै0मु0, कुल खसरा नम्बर 11 कुल रकबा 170–14 बीघा भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2016/1575 दिनांक 31/08/2016 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/9461 दिनांक 15/12/2016 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–घोड़ावड़, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवमं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 473/2 रकबा 62–03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 477 रकबा 17–00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 478 रकबा 4–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 482 रकबा 00–09 किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 483 रकबा 71–14 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 484 रकबा 0–14 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 493 रकबा 10–00 किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 493/1 रकबा 0–10 किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 494 रकबा 01–07 किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 495 रकबा 1–15 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 496 रकबा 0–16 बीघा किस्म गै0मु0, कुल खसरा नम्बर 11 कुल रकबा 170–14 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	बोदाराम मांगीलाल पि0 दौलाराम, सुखाराम पुत्र भीकाराम नाबालिग की वलिया माता मोरकी पत्नि भीकाराम, सुखाराम पुत्र भीकाराम, किरणदेवी रेखादेवी निरूदेवी मायादेवी पुत्रियाँ भीकाराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार। रहन–बोदाराम का हिस्सा एसबीबीजे शाखा–निमाज। रहन–मांगीलाल का हिस्सा एसबीबीजे शाखा–जैतारण।	477/1 483/1 483/3 484 493/2	10-13-00 18-04-00 17-11-00 0-14-00 5-00-00	चा0सो0 चा0दो0 चा0दो0 गै0मु0 चा0दो0	36.93 रू.
योग		5	52-02-00	–	36.93 रू.
2	चन्द्राराम पुत्र पुनाराम, हड़मानराम दत्तक पुत्र भंवरूराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार। रहन–चन्द्राराम का हि0 आरएमजीबी शाखा–बलाड़ा व एसबीबीजे शाखा–निमाज।	477 477/2 478 482 483 483/2 493	2-02-00 4-05-00 4-06-00 0-09-00 18-04-00 17-15-00 5-00-00	चा0सो0 चा0सो0 चा0सो0 गै0मु0 चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0	37.07 रू.
योग		7	52-01-00	–	37.07 रू.
3	बोदाराम मांगीलाल पि0 दौलाराम, सुखाराम पुत्र भीकाराम नाबालिग की वलिया माता मोरकी पत्नि भीकाराम, सुखाराम पुत्र भीकाराम, किरणदेवी रेखादेवी निरूदेवी मायादेवी पुत्रियाँ भीकाराम हि0 1/2, चन्द्राराम पुत्र पुनाराम, हड़मानराम दत्तक पुत्र भंवरूराम हि0 1/2, कौम–जाट सा0 देह खातेदार। रहन–बोदाराम का हिस्सा एसबीबीजे शाखा–निमाज। रहन–मांगीलाल का हिस्सा एसबीबीजे शाखा–जैतारण। रहन–चन्द्राराम का हि0 आरएमजीबी शाखा–बलाड़ा व एसबीबीजे शाखा–निमाज।	473/2 493/1 494 495 496	62-03-00 0-10-00 1-07-00 1-15-00 0-16-00	चा0सो0 गै0मु0 गै0मु0 चा0दो0 गै0मु0	45.90 रू.
योग		5	66-11-00	–	45.90 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11/02/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)